

बिहार सरकार
उद्योग विभाग
शुद्धि पत्र

सं0सं0-ह0क0(10)विविध-20/2016

स्वीकृत्यादेश सं0-967 दिनांक-15.03.2017 की कंडिका-4 में उल्लिखित "योजना के व्यय विवरणी परिशिष्ट-I के अनुसार योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे", के स्थान पर निम्नवत् पढ़ा जाये:-

"योजना के व्यय विवरणी परिशिष्ट-1 के अनुसार योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे जो स्वीकृत राशि की निकासी संबंधित जिला के कोषागार से सार विपत्र-BTC-26 पर एक मुश्त अग्रिम के रूप में करेंगे"। साथ ही परिशिष्ट-1 की कंडिका-3 में उल्लेखित कार्यान्वयन पदाधिकारी/निकासी व्ययन पदाधिकारी यथा वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय द्वारा कार्यालय व्यय मद में निकासी की गई राशि को बिहार राज्य सहकारिता बैंक लि0, नया सचिवालय शाखा पटना में निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम के पदनाम से संधारित खाता नम्बर-000235002100002 में जमा किया जायेगा।

प्रस्ताव में विभागीय माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
शेष शर्तें एवं बंधेज यथावत रहेंगे।

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-1269

पटना, दिनांक-27/03/2017

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-1269

पटना, दिनांक-27/03/2017

प्रतिलिपि:-व्यय विवरणी सहित जिला कोषागार, मधुबनी/पटना एवं सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-1269

पटना, दिनांक-27/03/2017

प्रतिलिपि:-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय/महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, मधुबनी/पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-1269

पटना, दिनांक-27/03/2017

प्रतिलिपि:-व्यय विवरणी के साथ वित्त विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, ह०रे०, बिहार, पटना/ आय-व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/बजट शाखा, उद्योग विभाग/उद्योग निदेशालय/योजना शाखा, उद्योग विभाग/ संबंधित जिला पदाधिकारी/ आई0टी0 मैनेजर उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।